फर्द अहकाम

विषय

बनाम

किशनलाल — महावीर प्रसाद

संख्या /वर्ष : 214/22 /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
5/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब पेश नहीं। अप्रार्थी प्रति सं. 1 व 2 का जवाब बन्द किया जाता है। अप्रार्थी सं. 3 स्वयं व उनके वकील अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 3 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते बहस T.9 हेतु दि. 25/7/24 को पेश हो।	
	उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
25/7/24	पत्रावली पेश हो। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 उपस्थित। बहस T.9 सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 16/8/24 नियत हो।	
	उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
16/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में बहस टी.आई.पुर के सुनी जा चुकी है। बहस के दौरान पत्रावली का सब दस्तावेज अवलोकन उपरांत इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 15/12/2022 के मूलनाथ के मिस्लिया तक [illegible] किया जाता है। पत्रावली [illegible] वाद के प्रकृति, [illegible] उचित दृष्टतर है।	
	उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:15:26 IST
Reason: SelfAttested